निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1165) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्तूबर 2015

सं0 08/आरोप–01–236/2014,सा०प्र०–9605
सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

3 जुलाई 2015

श्री राम सूचित शर्मा, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–328/08, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला, खरसावाँ, झारखण्ड के विरूद्ध एक शादी–शुदा महिला श्रीमती रेखा रानी के ऋण आवेदन पत्र पर स्वयं को श्रीमती रेखा रानी के पति के रूप में दिखाने तथा हस्ताक्षर करने, श्रीमती रेखा रानी के साथ संयुक्त बैंक खाता रखने, दाखिल खारिज वाद सं०–156/2001–02 में अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर अपने पद का दुरूपयोग करने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा श्री शर्मा को संकल्प ज्ञापांक–5680, दिनांक 03.10.2002 द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में ही श्री शर्मा की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–5108, दिनांक 09.09.2003 द्वारा बिहार सरकार को सौंपी गयी। श्री शर्मा के निलंबन अवधि दो वर्षो से अधिक होने के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3955, दिनांक 09.05.2005 द्वारा श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त किया गया।

प्राप्त आरोप के आधार पर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के क्रम में पुनः विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10690, दिनांक 25.10.2007 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2053, दिनांक 20.03.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। परन्तु एक ही आरोप के लिए पुनः निलंबित किये जाने के कारण संकल्प ज्ञापांक–61, दिनांक 02.01.2008 द्वारा श्री शर्मा को निलंबन मुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही के उपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3505, दिनांक 13.03.2014 द्वारा श्री शर्मा को निम्न शास्ति संसूचित किया गया :–

(i) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) तीन वर्षो के लिए प्रोन्नति पर रोक।

साथ ही निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश पारित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16934, दिनांक 09.12.2014 द्वारा श्री शर्मा के पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

विभागीय पत्रांक–17667, दिनांक 23.12.2014 द्वारा दिनांक 25.10.2007 से दिनांक 02.01.2008 तक तथा पत्रांक–3004, दिनांक 24.02.2015 द्वारा दिनांक 03.10.2002 से दिनांक 09.05.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए कारण पृच्छा की माँग श्री शर्मा से की गयी। श्री शर्मा ने अपने पत्रांक–06–01, दिनांक 08.01.2015 एवं पत्रांक–51, दिनांक 11.03.2015 द्वारा निलंबन अवधि के संबंध में कारण पृच्छा समर्पित किया।

श्री शर्मा से प्राप्त कारण पृच्छा उत्तर के सम्यक् समीक्षोपरांत निलंबन अवधि के संबंध में निम्नरूपेण निर्णय लिया जाता है :–

(i) दिनांक 03.02.2010 से दिनांक 09.05.2005 तक के निलंबन अवधि की सेवा विनियमित अन्य सभी प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि के रूप में की जाती है, परन्तु आरोप की गंभीरता एवं प्रमाणित आरोपों के लिए दी गयी शास्ति को देखते हुए इस अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता औसत वेतन का 75% (पचहत्तर प्रतिशत) एवं उसपर अनुमान्य महँगाई भत्ता के रूप में देय होगा।

(ii) दिनांक 25.10.2007 से दिनांक 02.01.2008 तक की निलंबन अवधि (दूसरे निलंबन अवधि) को पूर्ण कार्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1165-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in